न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 45/2018

सद्दाम हुसैन मंसूरी निवासी वार्ड नं. 20 मान दरवाजा देशवाली मोहल्ला टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 29.10.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा को आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2018 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1–ग्राम पंचायत तिलांजू मे खसरा संख्या 4/12 एंव खाता संख्या 198 के सुपुर्दनामे दिनांक 24.01.1983 की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा करे।

2–ग्राम पंचायत तिलांजू मे खसरा संख्या 4/12 एंव खाता संख्या 198 की खसरा गिरदावरी की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा करे।

3–खसरा संख्या 4/12 खाता संख्या 198 जहूरूद्दीन पुत्र रहमान खां ग्राम पंचायत तिलांजू नक्सा ट्रेस एंव लट्ठा नक्शा की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा से अपील के संबंध मे जवाब हेतु पंत्राक 1338 दिनाक 17.09.2018,1348 दिनाक 08.10.2018 व 1406 दिनाक 18.10.2018 द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी जवाब प्राप्त नही हुआ है। जबकि अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर टोंक